

Customer Information

₹2000 Denomination Banknotes

The Reserve Bank of India (RBI) had announced the withdrawal of ₹2000 banknotes from circulation vide Press Release 2023-2024/257 dated May 19, 2023.

Current exchange/ deposit facilities available for members of the public:

➤ ₹2000 banknotes can continue to be exchanged by individuals / entities at the 19 RBI Issue Offices up to a limit of ₹20,000/- at a time.

➤ Individuals / Entities can tender ₹2000 banknotes at the 19 RBI Issue Offices for credit to their bank accounts in India for any amount.

➤ Individuals / Entities from within the country can also send ₹2000 banknotes through India Post, addressed to any of the 19 RBI Issue Offices for credit to their bank accounts in India.

Such exchange or credit shall be subject to relevant RBI / Government regulations, submission of valid identity documents and due diligence as deemed fit by RBI.

19 RBI Issue Offices: Ahmedabad, Bangalore, Belapur, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Patna and Thiruvananthapuram.

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई, 2023 की प्रेस विज्ञप्ति 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 के बैंकनोट का प्रचलन वापस लेने की घोषणा की थी।

आम जनता के लिए उपलब्ध वर्तमान विनिमय/जमा सुविधाएं:

➤ आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा ₹2000 के बैंकनोट का विनिमय जारी रहेगा जिसकी अधिकतम सीमा एक बार में ₹20,000/- है।

➤ व्यक्ति/संस्थाएं किसी भी राशि के लिए भारत के अपने बैंक खाते में क्रेडिट करवाने के लिए 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में ₹2000 के बैंकनोट जमा करवा सकते हैं।

➤ देश के भीतर से व्यक्ति/संस्थाएं भारतीय डाक द्वारा ₹2000 के बैंकनोट भेज भी सकते हैं और उन्हें भारत में मौजूद अपने बैंक खातों में क्रेडिट करने के लिए आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी एक में भी भेजना होगा।

ऐसे विनिमय या क्रेडिट पर संबंधित आरबीआई/सरकारी विनियम, वैध पहचान दस्तावेजों का सबमिशन और आरबीआई द्वारा उचित समझी जाने वाली अन्य चीजें लागू होंगी।

आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालय: अहमदाबाद, बेंगलूर, बेलापूर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम।

₹2000 मूल्यवर्ग ब्याङ्क नोट

गत 19 मई, 2023 तारीख, प्रेस रिलीज नं 2023-2024/257 अनुसार रिजर्व ब्याङ्क अफ इन्डिया (आरबीआई) प्रचलित ₹2000 ब्याङ्क नोट प्रत्याहार करार घोषणा करे।

वर्तमाने जनसाधारण के जन्य उपलब्ध विनिमय/ आमानत सुविधा:

➤ ₹2000 ब्याङ्क नोट आरबीआई द्वारा इसू करार 19 टि अफिसे ब्याङ्क/संस्था द्वारा विनिमय करार चालिये येते पारे एकबारे ₹20,000/- पर्यन्त।

➤ कोनओ ब्याङ्क/संस्था भारते निजेर ब्याङ्क अकाउन्टे ये कोनओ परिमाण क्रेडिट करार जन्य आरबीआई द्वारा इसू करार 19 टि अफिसे ₹2000 ब्याङ्क नोट टेन्डर करते पारे।

➤ देशेर मध्ये थेके ब्याङ्क/संस्थाओ इन्डिया पोस्तेर साहाये भारते तादेर ब्याङ्क अकाउन्टे क्रेडिट करार जन्य आरबीआई द्वारा इसू करार 19 टि अफिसेर ये कोनओ एकटिके उद्देश्य करे ₹2000 ब्याङ्क नोट पाठते पारेन।

प्रासङ्गिक आरबीआई/सरकारी प्रविधान, वैध परिचय नथि जमा देओया एवं आरबीआई द्वारा उपयुक्त बले विवेचित यथायथ प्रचेष्टा सापेक्षे एइ धरनेर विनिमय वा क्रेडिट करार संभव।

आरबीआई द्वारा इसू करार 19 टि अफिस: आहमदाबाद, ब्याङ्गलोर, बेलापूर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नतून दिल्लि, पाटना एवं तिरुवनंतपुरम।